संख्या ·36 /उन्तीस (2)/08–(112पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
(हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2007–08 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1723/उन्तीस(2)/07–2(112पे0)/2007 दिनांक 18.09.2007 के क्रम में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यालय पत्र संख्या 4403/वि0अनु0/02/जिला योजना/2007–08 दिनांक 06.11.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 124.95 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख पिच्यानवे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0प्र0 शासन के वित्त, लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/75 दिनांक 27.2.97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर आंगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। योजनावार स्वीकृत धनराशि के संबंधित शाखा को आवंटन की सूचना धनराशि आहरण के एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

..............2

5. स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त हो।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल और फाइनेंशियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनर्रीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय। यदि ऐसा होना पाया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

9. योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का योजनावार मासिक रूप में शासन को उपलब्ध करायी जाय।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण योजनावार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उक्त तिथि तक कर दिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे उक्त तिथि तक समर्पित कर दिया जायेगा।

11. जिला योजना पर व्यय जनपद स्तर पर जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित योजना एंव अनुमोदन परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त धनराशि का अनुपालन न होने पर जनपद स्तर का पर्यवेक्षणीय अधिकारी ही इसके लिए उत्तदायी माना जायेगा।

12. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम– 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–91–ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 749/XXVII (2)/2008 दिनांक 01 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

संख्या-36 (1)/उन्तीस(2)/08–2(112पे0)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....3

2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी/ नैनीताल।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान (हरिद्वार को छोड़कर)।
8. वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त (बजट सैल)।
9. संयुक्त विकास आयुक्त, नैनीताल।
10. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

शासनादेश सं0 -36 /उन्तीस(2)/(112पे0)/07 दिनांक 04 जनवरी, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजनायें	मांग की गयी धनराशि	प्रस्तावित की जा रही धनराशि
01	02	03	04	05
01	देहरादून	05	36.00	10.00
02	पौड़ी	19	50.50	12.00
03	चमोली	04	35.04	9.00
04	रूद्रप्रयाग	07	39.60	10.00
05	टिहरी	04	65.00	16.00
06	उत्तरकाशी	19	58.50	14.00
07	नैनीताल	10	35.00	9.00
08	उधमसिंहनगर	05	42.00	11.00
09	अल्मोड़ा	10	34.75	9.95
10	बागेश्वर	06	31.70	9.00
11	पिथौरागढ़	05	20.00	5.00
12	चम्पावत	09	39.00	10.00
	योग :-	**103**	**487.09**	**124.95**

(एक करोड चौबीस लाख पिच्यानवे हजार मात्र)

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव